HOME (POLICE) DEPARTMENT

The 27th April, 1988

No. 5268/SA-2.—Cash Leave.—In accordance with the instructions contained in Haryana Government Finance Department letter No. 11/5/78-FR-II, dated 13th February, 1978, 11/5/78-FR-II, dated 21st August, 1978 read with the advice received from the Home Department, Haryana,—*vide* their letter No. 17/1/79-HGI, dated 25th April, 1979 and No. 11/50/87-1FR-II, dated 29th April, 1987, the cash payment in lieu of 240 days unutilised leave equivalent to leave salary is sanctioned to Shri Krishan Lal, Deputy Supdt. of Police, who has retired on superannuation on 29th February, 1988 on the following conditions:—

(i) The cash equivalent of leave salary thus admissible will be paid in lump sum as one time settlement.

(ii) The cash payment will be equal to leave salary admissible for earned leave and dearness allowance admissible on that leave salary at the rates in force on the date of retirement and no compensatory allowance, house rent allowance and kit maintenance allowance shall be payable.

It is certified that Shri Krishan Lal, D.S.P. did not avail of any portion of L.P.R. of 240 days before the date of superannuation.

HANS RAJ SWAN,
Director-General of Police, Haryana.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 25 अप्रैल, 1988

क्रमांक 490-ज(1)-88/13323.—श्री कृष्ण गोपाल, पुत्र श्री राम चन्द्र, निवासी मकान नं० 54/851-52, बलदेव नगर, अम्बाला, तहसील अम्बाला, जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 710-ज(1)-77/13709, दिनांक 31 मई, 1977, द्वारा 150 और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री कृष्ण गोपाल की दिनांक 13 जून, 1986, को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री कृष्ण गोपाल की विधवा श्रीमती कुन्दन देवी के नाम रबी, 1987, से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 27 अप्रैल, 1988

क्रमांक 457-ज(2)-88/13602.—श्री भरत राम, पुत्र श्री जेठू राम, निवासी गांव गाहड़ी, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5264-र-III-68/4015, दिनांक 17 अक्तूबर, 1968 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और इसके बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

अब श्री भरत राम, की दिनांक 1 जून, 1986 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम, (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री भरत राम की विधवा श्रीमति सुख देई के नाम रबी, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत जागीर प्रदान करते हैं।

ईश्वर चन्द गुप्ता,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व (सेवा तथा जागीर) विभाग।